अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय, मधुपुर

(गोपनीय शाखा)

~: आदेश :~

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जल प्रदूषण बड़ी समस्या बन गयी है। आये दिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि नदियों, तालाबों एवं कुँवो को कुड़ा–कचड़ा, प्लास्टिक, अनुपयोगी दवाईयां, केमिकल, अस्पताल के कचड़े या अन्य गन्दगी द्वारा प्रदूषित किया जा रहा है। ज्ञात हो कि इन जल स्त्रोतों का पेयजलापूर्ति तथा सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है, परन्तु उक्त जल स्त्रोतों के प्रदूषित होने से आम जन–जीवन प्रभावित हो रही है।

जल स्त्रोतों एवं वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या–777, दिनांक–17.10.2017 के द्वारा सम्पूर्ण झारखण्ड को प्लास्टिक कैरी बैग से मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है तथा इस कार्यालय के **1532**/गो0, दिनांक–**30/12/2017** के द्वारा जल स्त्रोतों को प्लास्टिक कैरी बैग एवं अन्य से प्रदूषण मुक्त रखने हेतु निगरानी समिति गठित की गयी है। इस आलोक में सम्पूर्ण मधुपुर अनुमंडल में प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया जाता है।

प्लास्टिक के थैले का उत्पादन एवं उपयोग करते पाये जाने पर विधि–सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

सभी आम जनों से अपील है कि प्रर्यावरण की रक्षा हेतु कागज, कपड़े आदि के थैले/बैग का उपयोग करें।

.30

अनुमण्डल पदाधिकारी
–सह–
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
मधुपुर।